# राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांक–आई.पी.आर.ओ./विज्ञापन क्र.–21वां/2021/462 दिनांक 16.06.2021

## //विज्ञापन//

**राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अंतर्गत सीधी भर्ती के** निम्नलिखित अस्थायी पदों की पूर्ति हेतु योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र **कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग,आकाशवाणी के पास, ग्वालियर–474002 (म.प्र.)** के कार्यालय में **दिनांक 15/07/2021 समय सायं 05:30 बजे** तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण, निर्धारित अर्हतायें एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

**अ. विश्वविद्यालय मुख्यालय पदः**

| क्र. | पद का नाम | वेतनमान | श्रेणी | | | | | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनारक्षित | अ.ज.जा. | अ.जा. | अ.पि.व. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | |
| 1. | वाहन चालक | **PB**-5200-20200 **GP**-1900/- पुनरीक्षित (सांतवा वेतनमान) रूपये 19500/- | 05 | 03 | 03 | 04 | 01 | **16** |

1. आरक्षण रोस्टर का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,भोपाल के ज्ञाप क्रमांक (F-07-53/2019/आ.प्र./ एक, dated 04.01.2020) द्वारा किया गया हैं।
2. महिला आरक्षण 33% म.प्र.शासन के ज्ञाप क्रं. C 3-8/2015/3/1 dated 19.11.2015 अनुसार।
3. निःशक्तजन आरक्षण 06% म.प्र.शासन के G.A.D. Memo No. F.-8-5/ 2004/आ.प्र./एक. dated 31.03.2005. अनुसार तथा अन्य लाभ/सुविधायें प्रदान की जायेगी।

**आर्हतायें:**

| स.क्र. | पद नाम | शैक्षणिक अर्हतायें |
|---|---|---|
| 1. | वाहन चालक | **अनिवार्यः**<br>1) 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त हल्के तथा भारी वाहन का चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है।<br>2) मिनी बस, जीप अथवा कार चालन का कम से कम 05 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है।<br>**वांछनीयः**<br>(1) 10वी परीक्षा उत्तीर्ण।<br>(2) मिनी बस, जीप, अथवा कार की माइनर रिपेयरिंग एवं वाहन के रखरखाव का अनुभव।<br>(3) न्यूनतम स्कोर विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा। |

क्रमशः ........2

| स. क्र. | पद का नाम | शुल्क राषि | |
|---|---|---|---|
| | | अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति |
| 1. | वाहन चालक | 600/– | 300/– |

आवेदन पत्र के साथ **"राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विष्वविद्यालय, ग्वालियर"** के नाम से ग्वालियर में देय, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमान्ड ड्राफ्ट निम्नानुसार संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।

**टीपः–(अ)** अधिसूचित रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है तथा चयनित पेनल से अन्य रिक्त पद सक्षम अधिकारी की अनुमति से भरे जा सकते है। अथवा किसी भी पद को भरने या न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।

**(ब)** उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को निम्नानुसार शर्तो की पूर्ति करना अनिवार्य होगाः–

1. उक्त पदो के आवेदकों को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. सभी रिक्त पदों के लिए आयु सीमा **दिनांक 01 जनवरी, 2021** को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी 3–11/12/1/3 भोपाल, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार छूट प्रदान की जावेगी।

| क्र. | आवेदक एवं श्रेणी | अधिकतम आयु सीमा |
|---|---|---|
| 1. | पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 40 वर्ष |
| 2. | पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी) | 45 वर्ष |
| 3. | पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) | 45 वर्ष |
| 4. | पुरुष आवेदक(आरक्षित वर्ग–शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी) | 45 वर्ष |
| 5. | महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 45 वर्ष |
| 6. | महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा) | 45 वर्ष |
| 7. | महिला आवेदक(आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) | 45 वर्ष |
| 8. | म.प्र. के निःशक्त आवेदकों (समस्त वर्ग) को शासन नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। | |

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर के अंतर्गत समस्त इकाईयों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी/दैनिक वेतन भोगी श्रमिक/श्रमिक आदि को उक्त तालिका में दर्शित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेंगी।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि वह क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) में नहीं आता अन्यथा उसे पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
4. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निःशक्तजन/ महिला उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जावेगा।
5. शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित श्रेणी का जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी) तथा जिस स्थान का आवेदक हो, वहां के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जावें। साक्षात्कार के समय संलग्न सत्यापित प्रतियों के मूल प्रमाण–पत्र जाँच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**क्रमशः .......3**

6. राज्य शासन के अतिशेष कर्मचारी, जो उक्त पदों के लिये निर्धारित योग्यता धारित करते हैं, विज्ञापन अनुसार उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
7. शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारी अपना आवेदन–पत्र कार्यरत संस्था से अग्रेषित करवायें अथवा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना–2005 प्रभावशील होगी।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन के उम्मीदवारों को म.प्र. शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
10. अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं होगा।
11. उपलब्ध पदों की तुलना में यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अथवा दोनों तथा ट्रायल एवं अन्य योग्यता/कार्यानुभव के आधार पर सीमित कर सकेगा।

<u>वाहन चालक पद हेतु परीक्षा</u> :–

(अ) <u>प्रायोगिक परीक्षा एवं आपरेटिंग स्किल</u> – प्रायौगिक परीक्षा हेतु पात्र आवेदकों को पत्र प्रेषित किया जावेगा। प्रायोगिक परीक्षा एवं आपरेटिंग स्किल परीक्षा ली जायेगी।

(ब) <u>स्पॉट परीक्षा</u> – वाहन (जीप) चालक के पद हेतु स्पॉट परीक्षा (वाहन से संबंधित कल पुर्जों के ज्ञान संबंधी)।

12. **राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में कार्यरत् टाइम स्केल श्रमिकों के चयनित होने पर वेतन संरक्षण मान्य नहीं होगा।**
13. आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. आवेदन पत्र के लिफाफे पर पदनाम, जाति/वर्ग अवश्य अंकित किया जावे। अपूर्ण/अपठनीय एवं त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र बगैर किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।
15. न्यायिक क्षेत्राधिकारः– चयन/समस्त चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) न्यायालय ग्वालियर तक ही सीमित रहेगा।
16. संबंधित पद हेतु चाही गई निर्धारित शैक्षणिक अर्हता से अधिक शैक्षणिक अर्हता पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अधिक शैक्षणिक अर्हता वाले आवेदकों को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता वाले आवेदकों के समान ही वरीयता दी जावेगी।
17. किन्हीं दो आवेदकों के समान अंक प्राप्त होने पर पात्र/उपयुक्त राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।
18. उम्मीदवार के विरूद्ध कानूनी/न्यायिक प्रकरण या विभागीय जॉच लंबित है, तो उसके आवेदन पर विचार नही किया जाएँगा।
19. आवेदक को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उसके दिनांक 26.01.2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान हैं, लेकिन दिनांक 26.01.2001 के बाद यदि आवेदक का एक बच्चा है और दूसरा प्रसव जुड़वा बच्चो के रूप होता है तो यह शर्त लागू नहीं होगी।

क्रमशः .......4

20. आवेदक की एक से अधिक पत्नी और महिला आवेदक जिन्होंने ऐसे विवाहित व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिनकी पत्नी पहले से ही जीवित है, वे विश्वविद्यालय सेवा के लिए पात्र नही होगें। यदि उम्मीदवार गलत जानकारी देता है, तो उसकी नियुक्ति/चयन, बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा।

21. उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

22. विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी/दैनिक वेतन भोगी श्रमिक/श्रमिक आदि जो वाहन चालन का कार्य कर रहे है उनको ही उक्त पदो हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

23. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस या उसकी एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा। एक माह का वेतन तथा एक माह का नोटिस दिये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्तों के अनुसार देय रकम भू–राजस्व या बकाया देय राशि से वसूल की जा सकेगी।

24. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जायेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

25. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

26. शासन के नियमानुसार निःशक्तजन उम्मीदवारों को ऐसे ही पद पर नियुक्ति दी जावेगी जिस पद का वे कार्य करने के लिये योग्य होंगे इस हेतु आवेदित पद के लिये प्रमुख चिकित्सा/अधीक्षक द्वारा पूर्ण संतुष्टि के बाद जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। जिसमें कि आवेदक जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर रहा है वह उस पद पर कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम एवं योग्य है नियुक्ति के समय आवेदक का पुनः मेडिकल परीक्षण कराया जावेगा।

27. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के प्रशासकीय अधिकार माननीय कुलपतिजी को रहेंगे।

28. आवेदक द्वारा नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में गैर न्यायियक स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

29. विज्ञापन में किसी भी प्रकार की तकनीकी (कम्प्यूटर), टंकण त्रुटि एवं मानवीय भूल होने पर उसमें सुधार करने का अधिकार विश्वविद्यालय को रहेगा।

30. रिक्त पदों हेतु अर्हतायें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आदि रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. की ***web site:- www.rvskvv.net*** पर उपलब्ध है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

16/6/2021

# आवेदन पत्र का प्रारूप

| |
|---|
| पासपोर्ट साइज का नवीन एवं रंगीन फोटो यहाँ चिपकायें |

**प्रति,**

**कुलसचिव,**
**राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,**
**राजा पंचम सिंह मार्ग,**
**ग्वालियर (म.प्र.) पिन– 474002**

1. आवेदित पद का नाम :...................................................................................
2. पद का वेतनमान :...................................................................................
3. आवेदक का पूरा नाम :...................................................................................
4. पिता/पति का नाम :...................................................................................
5. लिंग – पुरूष/महिला :...................................................................................
6. स्थायी पता :...................................................................................
   (जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) :...................................................................................
7. पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पता :...................................................................................
   (जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) :...................................................................................
8. आवेदक का मोबाईल नं. :...................................................................................
9. आवेदक की ई–मेल आई.डी. :...................................................................................
10. आवेदक का आधार नं. :...................................................................................
11. जन्मतिथि अंको में :...................................................................................
    शब्दों में :...................................................................................
12. श्रेणी (अनारक्षित/अनु. जाति/अनु. जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/नि:शक्तजन/महिला) :...................................................................................
13. आवेदक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है (यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें) : हाँ/नहीं
14. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है (यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें) : हाँ/नहीं
15. रोजगार कार्यालय का नाम तथा जीवित पंजीयन क्रमांक :...................................................................................
16. ड्रायविंग लायसेंस की वैधता :...................................................................................
17. भारी वाहन चालन का बैच क्रमांक :...................................................................................

*क्रमशः.............2*

18. शैक्षणिक योग्यता :–

| क्र. | परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण विषय समूह | श्रेणी | प्रतिशत | वर्ष | बोर्ड का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आठवीं | | | | | |
| 2. | हाईस्कूल (10वीं) | | | | | |
| 3. | अन्य | | | | | |

**नोटः–** उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूचियों एवं आरक्षित संवर्ग के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।

19. विशेष योग्यता/अनुभव/उल्लेखनीय योग्यता।

| पदनाम वेतनमान सहित | नियोक्ता का पता | नियुक्ति की तिथि (कब से कब तक) | प्राप्त वेतन (रू.) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची तथा संलग्न बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ........................ दिनांक ..................राशि ...........

21. वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी अपना आवेदन अग्रेषित कराकर भेजे अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

दिनांकः ................................

स्थानः ...................................

आवेदक के हस्ताक्षर

*क्रमशः............3*

## घोषणा–पत्र

### (कार्यानुभव, पदस्थापना एवं जानकारी के संबंध में )

**(अ)** मैं ........................................ आत्मज/आत्मजा/पत्नि ........................................ यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .............................. संस्था में दिनांक ........ माह ........ वर्ष ........ से कार्यरत हूँ तथा वर्तमान में विभाग/इकाई .............................. संस्था में दिनांक ........ माह ........ वर्ष ........ से निरन्तर कार्यरत हूँ। संस्था में मेरा कार्यानुभव वाहन चालक के पद पर निरन्तर .............. वर्ष ............ माह का है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं संबंधित कार्यालय से पुष्टि की जा सकती है। उक्त जानकारी असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा लिया गय निर्णय अंतिम होगा।

**(ब)** मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा मुझे आवेदित पद पर नियुक्ति दी जाती है तो विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संबद्ध जिलों/इकाईयों में कहीं भी पदस्थ करने हेतु स्वतंत्र है।

**(स)** मैं ........................................ आत्मज/आत्मजा/पत्नि ........................................ यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा विवरण पूर्णतः सत्य है। उपरोक्त जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। नियुक्ति पश्चात् यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक ....................

स्थान ......................

__________________

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम ..................................

### कार्यालय/विभाग/इकाई प्रमुख की सिफारिस कारण सहित

आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी का मिलान अभिलेखों से किया गया है। दी गई जानकारी पर टीप ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

कार्यालय/विभाग/इकाई प्रमुख
की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर